[12/8/2021]

-3-

प्रश्न सं. [क्र. 113]

परिशिष्ट अ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 113 तारांकित का उत्तर

1. जबलपुर शहर के रद्दी चौकी से लेकर भानतलैया, घमापुर चौक से तहसील चौक व हाईकोर्ट चौराहा तक यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु यातायात के बल को प्रतिदिन गणना मे ब्रीफ किया जाता है एवं नियमित रूप से यातायात प्रबंधन हेतु लगाया जाता है ।

2. संबंधित क्षेत्रों मे स्कूल एवं ऑफिस के छूटने के समय किसी भी प्रकार से जाम की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु पूर्व से ही इन स्थानों पर यातायात व्यवस्था की जाती है, जिस हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय-समय पर प्वाइंटों पर लगाया जाता है ।

3. संबंधित क्षेत्रों मे यातायात का दबाव बढ़ने पर इन क्षेत्रों मे क्रेन मोबाईल एंव पेट्रोलिंग मोबाईल के द्वारा एनाउंसमेंट के माध्यम से यातायात व्यवस्था बनाई जाती है।

4. संबधित क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बनाये रखने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अनावश्यक एवं अवैध रुप से नो-पार्किंग क्षेत्र में खडे होने वाले वाहनों पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाती है, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।

5. यातायात व्यवस्था हेतु माह जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक मोटर वेहिकल एक्ट के तहत की गई कुल चालानी कार्यवाही एवं समन शुल्क का विवरण इस प्रकार है-

क्रं	चालान संख्या	समन शुल्क (रू.)
1	2653	1051250

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सहायक संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल (म.प्र.)